न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 42/2016/अपील/एल.आर.एक्ट/बूंदी

दायरा दिनांकः 29.6.2016

अन्तर्गत धाराः 76 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

1. लक्ष्मीचंद पुत्र गुलाबचंद जाति कोली निवासी बूंदी हाल शिवाजी नगर आदर्श नगर अजमेर।
2. सुरेश पुत्र गुलाबचंद जाति कोली निवासी मनोहर बावडी बूंदी।
3. मंजू पुत्री गुलाबचंद पत्नि खेमराज कोली निवासी कोली मोहल्ला बडी मस्जिद सुकेत।
4. विमला पुत्री गुलाबचंद पत्नी बिरधीलाल कोली निवासी गुरूनानक कॉलोनी बूंदी।
5. मोहनी बाई विधवा गुलाबचंद कोली निवासी मनोहर बावडी बह्ममपुरी बूंदी।

समस्त जरिये मुख्त्यारेआम श्री लक्ष्मीचंद पुत्र गुलाबचंद जाति कोली निवासी बूंदी हाल शिवाजी नगर आदर्श नगर अजमेर बहैसियत स्वयं एवं बहैसियत पावर ऑफ अर्टोनी होल्डर अपीलांट संख्या 2 लगायत 5

...अपीलाट्स

बनाम

1 छोटा पुत्री हरदेव जाति नायग निवासी दुगारी जिला बूंदी।
2 सीता पुत्री हरदेव पत्नी देवीलाल नायग बिजोलिया जिला भीलवाडा।
3 हेमो पुत्री नारायण जाति नायक निवासी बूंदी।
4 जगदीश पुत्र रामनारायण
5 मांगीबाई पत्नी रामनारायण
6 भंवरलाल पुत्र रामनारायण
7 सरोज पुत्री रामनारायण
8 रघुवीर पुत्र रामनारायण
9 गोविन्द पुत्र रामनारायण
10 केसर पुत्री रामनारायण पत्नी रामप्रसाद
11 चेतराम पुत्र रामनारायण
12 थानमल पुत्र रामनारायण
13 रामकिशन पुत्र खाना
14 रमेश पुत्र खाना
15 तेजमल पुत्र खाना
16 राजमल पुत्र खाना

समस्त जाति नायग निवासी रघुवीरपुरा जिला बूंदी।

17 संतोष पुत्री खाना पत्नी सत्यनारायण जाति नायग निवासी बूंदी।
18 द्वारक्या पुत्री खाना पत्नी रमेश जाति नायग निवासी बेगू।
19 प्रेम पुत्री खाना पत्नी तुलसीराम जाति नायग निवासी बूंदी।
20 रामपति पुत्री रामनारायण प्रहलाद जाति नायग निवासी मोरपा तहसील दीगोद जिला कोटा।
21 मंजू पुत्री दल्लू पत्नी कान्हा जाति नायग निवासी मेघारावत की झोपडिया तहसील व जिला बूंदी।
22 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बूंदी।

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री संजय शर्मा अभिभाषक अपीलाट
श्री नन्दलाल शर्मा अभि0 रेस्पो0 1,2,4,9,12,13,14,15,16,20
श्री हरिश शर्मा राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 क्रम–22

निर्णय

दिनांक 9.8.2018

अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर बूंदी (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा मिसल संख्या 185/अपील/14 बउनवान लक्ष्मीचंद बनाम छोटा अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम अन्तर्गत पारित निर्णय दिनांक 20.7.2015 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 मे इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि तहसीलदार बूंदी द्वारा खातेदार हरदेव के फोत होने उपरांत उसकी विरासत का उसके वारिसान के नाम तस्दीक किया गया नामान्तरकरण संख्या 269 दिनांक 28.12.2001 ग्राम रघुवीरपुरा से अप्रसन्न होकर अपीलार्थी ने राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 अन्तर्गत प्रथम अपीलीय न्यायालय मे अपील पेश कर निवेदन किया कि खातेदार हरदेव ने वाके ग्राम रघुवीरपुरा मे स्थिति भूमि अपीलांट के पिता व पति गुलाबचंद को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय दिनांक 17.9.1992 को विक्रय कर सुपुर्द कर दिया था तब से अपीलांट के पिता व उनके देहान्त पश्चात अपीलांट उक्त भूमि पर काबिज चले आ रहे है। हरदेव का उक्त भूमि पर अधिकार समाप्त हो गया है। अतः हरदेव की विरासत का उसके वारिसान के नाम तस्दीक किया गया नामान्तरकरण सं0 269 अवैध है जो निरस्त किया जाकर अपीलांट्स के नाम खोला जाकर राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किया जावे। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपील को गुणावगुण पर टिप्पणी किये बगेर अपील मियाद बाहर होने से निर्णय दिनांक 20.7.2015 को खारिज की गई जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 अन्तर्गत न्यायालय हाजा मे इस आशय की पेश की गई कि प्रथम अपीलीय न्यायालय का आदेश न्याय, नियम व रेकार्ड के विपरीत है, क्योंकि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपने निहित अधिकार क्षेत्र का उचित ढग से पालन नही किया ओर अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर आक्षेपित निर्णय पारित किया है जिसमे तात्विक अनियमितता है। विवादित आराजी हरदेव ने अपीलांट के पिता को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 17.9.92 को बेचान कर दिया था तब से अपीलांट के पिता व उनके देहान्त के बाद अपीलांट काबिज चले आ रहे है। इसके बावजूद भी अपीलांट को सुने बिना तहसीलदार द्वारा नामा0 सं0 269 तस्दीक कर दिया जो पूर्णरूप से विधि विपरीत एंव अवैध था क्योंकि हरदेव के फौत होने उपरांत क्षेत्राधिकार प्रथम 45 दिन तक ग्राम पंचायत को था ऐसी स्थिति मे तहसीलदार द्वारा तस्दीक किया गया नामान्तरकरण क्षेत्राधिकार से परे होने से काबिल निरस्तनीय था। जब कोई निर्णय श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार से बाधित होता है तो ऐसे आदेश के विरूद्ध की गई अपील मे मियाद अधिनियम के प्रावधान बाधक नही होते है अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यो पर गोर नही किया। विधि का सुप्रतिपादित सिद्धांत है कि बिना विधिक क्षेत्राधिकार के पारित किया गया आदेश किसी भी वक्त चैलेन्ज किया जा सकता है जिसमे मियाद का बिन्दू बाधक नही है तथा पारित किया गया आदेश नोनेस्ट एवं वोईड साथ ही वॉईड एबइनिश्यो होता है एवं उसकी कोई विधिक मान्यता नही होती है फिर भी अपीलीय न्यायालय द्वारा ऐसे विधि विपरीत आदेश को आक्षेपित आदेश की आड मे बहाल रखने म कानूनी त्रुटि की है इस कारण आदेश काबिल निरस्तनीय है। नामान्तरकरण दिनांक 28.12.2001 को पारित किया गया जिसकी अपील दिनांक 24.12.2014 को प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ जानकारी की तिथी 18.8.2014 को होना वर्णित करते हुये प्रथम अपीलीय न्यायालय मे पेश की गई है अपीलीय न्यायालय द्वारा बिना किसी आधार अभिलेखो के कयासी आधारो पर अपील को केवल मात्र मियाद के तकनिकी बिन्दू पर खारिज करने मे त्रुटि की है।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया। रेस्पो0 1,2,4,9,12,13,14,15,16,20 के अभिभाषक श्री नन्दलाल शर्मा दौराने बस उपस्थित नही हुये तथा रेस्पो0 क्रम 3,5,6,7,8,10,11,17,18,19,21 की तामील पूर्ण मानी गई। अतः प्रकरण मे विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 क्रम 22 की बहस सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को दोहराया तथा प्रकट किया कि अपीलग्रस्त भूमि खातेदार हरदेव से अपीलांट के पिता व पति गुलाबचंद ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय दिनांक 17.9.1992 को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था तब से अपीलांट के पिता व उनके देहान्त पश्चात अपीलांट उक्त भूमि पर काबिज चले आ रहे है। तहसीलदार ने भूमि के विक्रय की जाचं किये बिना हरदेव के फौत होने उपरांत फौती इंतकाल उसके सं0 269 उसके वारिसान के नाम तस्दीक कर दिया जो अवैधानिक होने से नामा0 की अपील प्रथम अपीलीय न्यायालय मे पेश की गई जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय ने गुणावगुण पर विचार किये बिना ही मियाद के बिन्दू पर खारिज कर त्रुटि की है क्योंकि प्रथम 45 दिन तक नामा0 तस्दीक करने के अधिकार ग्राम पंचायत को होने से तहसीलदार द्वारा तस्दीक किया गया नामा0 क्षेत्राधिकार से परे था। विधि का सुप्रतिपादित सिद्धांत है कि बिना विधिक क्षेत्राधिकार के पारित किया गया आदेश किसी भी वक्त चैलेन्ज किया जा सकता है जिसमे मियाद का बिन्दू बाधक नही है तथा पारित किया गया आदेश नोनेस्ट एवं वोईड साथ ही वॉईड एबइनिश्यो होता है एवं उसकी कोई विधिक मान्यता नही होती है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने उक्त तथ्यो पर गौर किये बिना अपील को मियाद के बिन्दू पर खारिज करने मे त्रुटि की है। अपने कथन के समर्थन मे आरआरडी 2009 पेज 195, आरआरडी 1998 पेज 319 का न्यायिक उद्धरण पेश करते हुये प्रथम अपीलीय न्यायालय का निर्णय अपास्त कर अपील का गुणावगुण के आधार पर निर्णय किये जाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को रिमांड करने का अनुरोध किया।

4 विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 क्रम–22 ने बहस मे बताया कि नामा0 सं0 संख्या 269 दिनांक 28.12.2001 को पारित किया गया जिसकी अपील दिनांक 24.12.14 को अधीनस्थ न्यायालय मे पेश की गई जो मियाद बाहर थी तथा मियाद का कोई युक्तियुक्त कारण नही होने से प्रथम अपलीय न्यायालय ने अपील मियाद के बिन्दू पर खारिज की है। प्रथम अपीलीय न्यायालय का निर्णय न्यायोचित होने से अपील अपीलांट खारिज करने का अनुरोध किया।

5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 क्रम–22 सुनी जाकर विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रकरण मे प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण आरआरडी 2009 पेज 195, आरआरडी 1998 पेज 319 पर गौर किया। प्रथम अपलीय न्यायालय द्वारा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील बिना गुणवगुण पर विचार किये मियाद बाहर से जरेअपील निर्णय दिनांक 20.7.2015 द्वारा खारिज की है। उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलांट द्वारा द्वितीय अपील इस न्यायालय मे पेश की गई जो मियाद बाहर है। डिले कन्डोन हेतु अपील के साथ परिसीमा अधिनियम की धारा 5 अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश कर दिनांक 14.8.2015 को तबियत खराब हो जाने से समय पर पेश नही कर स्वस्थ हो जाने उपरांत पेश करना वर्णित किया। प्रार्थना पत्र के समर्थन मे उक्त आशय का स्वयं का शपथ पत्र पेश किया गया। शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यो का रेस्पो0 द्वारा खण्डन नही किया गया ना ही कोई खण्डन मे कोई प्रत्युत्तर ही पेश किया गया ऐसी स्थिति मे शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यो को अविश्वसनीय माने जाने का कोई आधार अभिलेख पत्रावली मे उपलब्ध नही है लिहाजा अपील पेश करने मे हुई देरी सद्भाविक होने से शम्य की जाकर अपील को अवधि मध्य माना जाता है।

6 अपील का गुणावगुण पत्र अवलोकन किया गया। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा नामा0 सं0 संख्या 269 दिनांक 28.12.2001 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को मियाद बाहर होने से खारिज किया है। प्रश्नगत अपील प्रकरण मे अपीलांट का मुख्य तर्क है कि प्रथम 45 दिन तक नामा0 तस्दीक करने के अधिकार ग्राम पंचायत

होने से तहसीलदार द्वारा तस्दीक किया गया नामा0 सं0 269 दिनांक 28.12.2001 क्षेत्राधिकार से परे था ऐसी स्थिति मे क्षेत्राधिकार के अभाव मे पारित किया गया आदेश किसी भी वक्त चैलेन्ज किया जा सकता है जिसमे मियाद का बिन्दू बाधक नही है। इस संबध मे अपीलांट की ओर से न्यायिक उद्धरण आरआरडी 2009 पेज 195, आरआरडी 1998 पेज 319 की प्रति भी पेश की गई जिस पर गौर किया गया। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख प्रमाणित प्रति पंजीकृत विक्रय पत्र दि0 17.9.1992 के अवलोकन से हरदेव द्वारा अपने कब्जे व खाते की ग्राम रघुबीरपुरा स्थित आराजी कुील 13 बीघा 2 बिस्वा गुलाबचंद को विक्रय जाना प्रकट होता है। उक्त विक्रय पत्र के अस्तित्व मे रहते खातेदार हरदेव के फौत होने उपरांत उक्त आराजी का फोती नामान्तरकरण तहसीलदार बूंदी द्वारा उसके वारिसान के नाम तस्दीक किया गया है ऐसी स्थिति मे प्रकरण मे सारवान व कानूनी बिन्दू निहित होना प्रकट होता है तथा जहॉ प्रकरण मे सारवान व कानूनी बिन्दू निहित हो वहां विभिन्न अपर न्यायालयो द्वारा प्रतिपादित अभिमत अनुसार मियाद के बिन्दू का कोई महत्व नही रह जाता। इस संबध मे विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण आरआरडी 2009 पेज 195, आरआरडी 1998 पेज 319 प्रश्नगत प्रकरण मे चस्पा होते है। उक्त तथ्यो के परिपेक्ष्य मे अधीनस्थ न्यायालय को विलम्ब अवधि क्षम्य हेतु अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र एवं शपथ मे वर्णित तथ्यो का समुचित परीक्षण कर अपील को अवधि मध्य मानते हुये गुणावगुण पर विचार कर निर्णय पारित करना न्यायोचित था। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यो पर गौर नही कर अपील को मियाद के बिन्दू पर खारिज करने मे त्रुटि की है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय के जेरअपील निर्णय दिनांक 20.7.2015 को न्यायोचित नही ठहराया जा सकता। लिहाजा जेरअपील निर्णय दिनांक 20.7.2015 को अपास्त किया जाता है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम को न्यायहित मे स्वीकार किया जाकर अपील को अवधि मध्य माना जाता है तथा प्रकरण उभय पक्षकारान को सुनवाई व पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुये अपील का गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित (रिमांड) किया जाता है।

7 निर्णय आज दिनांक 9.8.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा